नेशनल लोक अदालत बेंच नम्बर–01

किस्म मुकदमा – राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 44 / 2025

फाऊराम

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सोजत

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	विवरण
08.03.2025	विद्वान वकील प्रार्थी श्री गोविन्द प्रसाद एवं अप्रार्थी की ओर से श्री तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित। पत्रावली नेशनल लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी फाऊराम का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पूर्व में दिनांक 06.03.2025 को लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से निर्णित हो चुका है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुकार होकर दाखित दफ्तर हो। **अध्यक्षः–दिनेश कुमार गढ़वाल** **नेशनल लोक अदालत बेंच नं.01** **(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सोजत, जिला पाली)** सदस्य– दिलीप सिंह, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (नेशनल लोक अदालत बेंच (रेवेन्यू) नं.01) सोजत, जिला–पाली	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः— 44 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. फाऊराम पुत्र भीयाराम जाति नायक निवासी गुड़ा कलां तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित

—: **निर्णय** :— दिनांक — 06/03/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गुड़ा कलां तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान में प्रार्थी एवं अन्य की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 352 रकबा 0.6900 है0 की तथा सरहद मौजा गुड़ा चुतरा के ख.नं. 373 रकबा 0.64 है0 की आयी हुई स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा खातेदारी का दर्ज सुदा हैं। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी की वल्दीयत राजस्व कर्मचारीयों द्वारा बिना प्रार्थी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये बिना पैनऑफ मिस्टेक व सद्भाविक भूलवश प्रार्थी सहित उसके भाईयों/सह खातेदारान की वल्दीयत फाऊराम पुत्र भीयाराम के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में फाऊराम पुत्र भीमाराम एवं भीखाराम इन्द्राज कर दिया गया। जो कि गलत हैं। बल्कि प्रार्थी सहित भाईयो /सह खातेदारान की सही एवं वास्तविक वल्दीयत माफिक दस्तावेज अनुसार भीयाराम ही है। प्रार्थी सहित भाईयो/सह खातेदारान के समस्त सरकारी/अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात में वल्दीयत भीयाराम ही हैं। भीयाराम, भीखाराम एवं भीमाराम तीनों ही नाम प्रार्थी के पिताजी के ही है, जिनके गांव परिवारजन में तीनों ही नामो से जाना व पहचाना जाता रहा हैं। उक्त संबंध में जानकारी प्रार्थी को हाल ही में वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जमाबंदीया प्राप्त करने पर हुई हैं। प्रार्थी सहित सह खातेदारान/भाईयो की वल्दीयत भीयाराम के स्थान पर भीमाराम एवं भीखाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी सहित उसके भाईयो/सह खातेदारान को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभो से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी सहित सह खातेदारान/भाईयो की वल्दीयत भीमाराम/भीखाराम के स्थान पर भीयाराम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। राजस्थान राज पत्र साधारण के 30 जनवरी 2025 के अंक 44, पेज संख्या 17934 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत शपथ पत्र प्रकाशित किया जा चुका है। जिसकी प्रति साथ संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम सरहद मौजा ग्राम गुड़ाकलां के खाता नंबर 136 खसरा नबंर 352 रकबा 0.6900 हैक्टर में प्रार्थी फाऊराम सहित उसके भाई जगाराम, ताराराम एवं मदनलाल की वल्दीयत

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

भीखाराम के स्थान पर भीयाराम एवं सरहद मौजा गुडा कुतश खाता नंबर 49 खसरा नंबर 373 रकबा 0.6400 हैक्टर प्रार्थी फाऊराम सहित उसके भाई जगाराम, ताराराम एवं मदनलाल की वल्दीयत भीमाराम के स्थान पर भीयाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा गुडा कलां में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 4 का जवाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 05, 06 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी व उनके भाईयों की वल्दियत भीमाराम/भीखाराम के स्थान पर भीयाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अन्य दस्तावेजात का अवलोकन कर गहनता से अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्थान राज पत्र साधारण के 30/01/2025 के अंक 44, पेज संख्या 17934 पर नाम परिवर्तन की घोषणा बाबत प्रकाशित शपथ पत्र से प्रार्थी व उसके भाईयो की वल्दियत सही एवं वास्तविक भीमाराम/भीखाराम नहीं होकर भीयाराम होने की संपुष्टि होती है। जिससे प्रार्थित भूमि में दर्ज भीमाराम/भीखाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम भीयाराम दुरूस्त रूप से इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना उचित समझते

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी व उनके भाईयों की वल्दियत भीमाराम/भीखाराम के स्थान पर भीयाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायालय परिसर सोजत में दिनांक 08.03.2025 को पेश हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (पाली)